वित्तीय स्वीकृति

संख्या-1/2016/ 2712/52-3-15-बजट(4)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों को मासिक वेतन आदि के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2936/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/ 2015-16 दिनांक 18.11.2015 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-873/52-3-15- □□□(4)/2015 दिनांक 21.4.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के नवसृजित शिक्षकों के मासिक वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 01,50,00,000/- (रू0 □□ □□□ पचास लाख मात्र) उपरोक्त शासनादेश के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये तथा आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नवसृजित शिक्षकों के शेष अवधि के वेतनादि के भुगतान हेतु रू0 01.00.00,000/-(रू0 □□ करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0 9 के अनुरूप 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 41,80,00,000/- के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा त□□ धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में व्यय नही की जायेगी।

http://shastrideesh.upnic.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/ उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 15 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एला□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्य-48 □□ लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-□ □□□□□-01-प्रारम्भिक शिक्षा 800-अन्य व्यय- 11-146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान -31 -□□□□ □□□□-सामान्य(□□□) मद में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत कर अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- □ □□□□□□-03-अरेबिया पाठ्शालाओं को अनुदान-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□□□□ □□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1447/□□-2015, 29 दिनांक दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न-प्रपत्र बी0ए□0 9

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

<u>संख्या-2712(1)/52-3-14-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in